कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कारण बताओ नोटिस

यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्याख्याता अंग्रेजी के अभ्यर्थी का पदस्थापन आपकी शाला में किया गया, जिसे आप द्वारा कार्यग्रहण न करवाकर अपने पत्रांक एस.पी.एल–1/2017 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह बताया गया कि इस विद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता का एक पद स्वीकृत है, जिस पर व्याख्याता अंग्रेजी जौली माथुर कार्यरत है। आप द्वारा शाला दर्पण पर जौली माथुर व्याख्याता अंग्रेजी PERMAMENT को RETIRED दर्शाया हुआ है। जिसके कारण आपके विद्यालय का व्याख्याता अंग्रेजी का पद रिक्त दर्शाने पर भारती सिंह, नवनियुक्त व्याख्याता अंग्रेजी का पदस्थापन किया गया।

यह है कि विभाग द्वारा प्रधानाचार्य को समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है कि शाला दर्पण पर अपने विद्यालय संबंधित समस्त सूचनाऐं अपडेट रखें। संस्था प्रधान का कर्त्तव्य है कि अपनी शाला की प्रत्येक सूचना शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

यह है कि आपके द्वारा शाला दर्पण पर सूचना सही अपडेट नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को परेशानी उठानी पड़ी तथा विभाग की छवि भी धूमिल हुई।

अतः आप कारण बतावें कि क्यों न इस हेतु आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ? आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को नोटिस प्राप्ति के 10 दिन तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में आपका कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मान लिया जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

श्री बाबू सिंह रतनावत
प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
साखूंन, जयपुर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–1/नियुक्ति–अंग्रेजी/पीएससी–15/2017 दिनांक 04-7-17

Order